अधिसूचना सं. 40/2014 [एफ. सं. 203/25/2014 आईटीए.II], **दिनांक 29-8-2014**

प्रपत्र सं. 3गत

1.	आवेदक का नाम, पता और पैन	रैलिस इंडिया लिमिटेड, 156/157, 15वां तल, नरीमन भवन, 227, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400021 (एएबीसीआर2657एन)
2.	कृषि विस्तार परियोजना का शीर्षक	रैलिस किसान कुटुंब-हेल्पलाइन ('आरकेके-हेल्पलाइन')
3.	कृषि विस्तार परियोजना का प्रयोजन	किसानों को कृषि, फसल सुरक्षा, फसल की खेती की प्रथाओं, बीज, उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग, मौसम की स्थिति आदि से संबंधित उच्च गुणवत्ता और विश्वसनीय कृषि ज्ञान और जानकारी निःशुल्क प्रदान करना, जब और जैसी आवश्यकता हो।
4.	आवेदन की संदर्भ संख्या और तिथि	फा.सं. 203/25/2014-आईटीए.II दिनांक 24-7-2014 को प्राप्त
5.	कृषि विस्तार परियोजना के प्रारंभ की तिथि	पहले से ही प्रारंभ। हालांकि, स्वीकृति आईटी अधिनियम की धारा 35गगग के अंतर्गत इस औपचारिक अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी। साथ जाना।
6.	कृषि विस्तार परियोजना की अवधि महीनों में	चालू परियोजना
7.	मूल्यांकन वर्ष जिसके लिए कृषि विस्तार परियोजना को अधिसूचित किया जा रहा है (तीन वर्ष से अधिक नहीं)	अधिसूचना के औपचारिक जारी होने की तिथि से मूल्यांकन वर्ष 2016-17 तक।
8.	कृषि विस्तार परियोजना के लिए होने वाला कुल खर्च (भूमि या भवन की लागत के अतिरिक्त)	मूल्यांकन वर्ष 2015-16 (आवेदक ने रु. 47,38,360/- का व्यय दावा किया है। चूंकि, परियोजना को वित्त वर्ष 2014-2015 में बाद की तिथि से अनुमोदन दिया जा रहा है, संबंधित अवधि के लिए अपेक्षित व्यय काफी कम होगा) जबकि मूल्यांकन वर्ष 2016-17 के लिए संभावित व्यय रु. 52,12,196/- है।
9.	कृषि विस्तार परियोजना के प्रत्येक लाभार्थी से वसूल की जाने वाली राशि, यदि कोई हो।	शून्य

10. शर्तें जिनके अधीन कृषि विस्तार परियोजना शीर्षक ('आरकेके-हेल्पलाइन') को अधिसूचित किया जा रहा है, निम्नलिखित हैं:

(*i*) कृषि विस्तार परियोजना करने वाली अनुमोदित इकाई धारा 35गगग की उप-धारा (1) के अंतर्गत अधिसूचित कृषि विस्तार परियोजना की अलग खाता-बही रखेगी और ऐसी खाता-बही का ऑडिट धारा 288 की उप-धारा (2) के नीचे दी गई व्याख्या में परिभाषित लेखाकार से कराएगी।

(*ii*) उप-नियम (1) में संदर्भित ऑडिट रिपोर्ट में कृषि विस्तार परियोजना के लिए रखी गई खाता-बही के सत्य और निष्पक्ष दृश्य, कृषि विस्तार परियोजना की गतिविधियों की वास्तविकता और अधिनियम या नियमों के संबंधित प्रावधानों में निर्दिष्ट शर्तों या नियम 6ककघ के उप-नियम (6) या उप-नियम (9) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में उल्लिखित शर्तों की पूर्ति पर लेखापरीक्षक की टिप्पणियां शामिल होंगी।

(*iii*) अनुमोदित इकाई पात्र कृषि विस्तार परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षण, शिक्षा, मार्गदर्शन या ऐसे प्रशिक्षण, शिक्षा या मार्गदर्शन के प्रयोजनों के लिए वितरित किसी सामग्री के लिए लाभार्थी से कोई राशि स्वीकार नहीं करेगी।

(*iv*) अनुमोदित इकाई को अधिसूचित कृषि विस्तार परियोजना से अधिनियम की धारा 35गगग, नियम 6ककघ और इस नियम के प्रावधानों के अनुसार पात्र व्यय की कटौती के अतिरिक्त कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ नहीं मिलेगा।

(*v*) परियोजना के अंतर्गत केवल उत्पाद तटस्थ सलाह दी जाएगी।

(*vi*) सभी व्यय (भूमि या भवन की लागत की प्रकृति का व्यय नहीं होना), लाभार्थी से प्राप्त राशि, यदि कोई हो, से कम किए गए रूप में, जो पूर्ण और विशेष रूप से पात्र कृषि विस्तार परियोजना करने के लिए किया गया हो, धारा 35गगग के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र होगा:

बशर्ते कि कृषि विस्तार परियोजना पर किया गया कोई व्यय जो निर्धारिती को किसी व्यक्ति द्वारा, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रतिपूर्ति या प्रतिपूर्ति योग्य है, धारा 35गगग के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र नहीं होगा।

(*vii*) जहां अधिनियम की इस धारा 35गग के अंतर्गत किसी मूल्यांकन वर्ष के लिए कटौती का दावा किया गया है और अनुमति दी गई है, वहां ऐसे व्यय के संबंध में समान या किसी अन्य मूल्यांकन वर्ष के लिए अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के अंतर्गत कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(*viii*) स्वीकृत संस्था धारा 139 की उपधारा (1) के अंतर्गत आय की विवरणी दाखिल करने की नियत तिथि पर या उससे पहले, आयकर आयुक्त या आयकर निदेशक, जैसा भी मामला हो, को निम्नलिखित प्रस्तुत करेगी, अर्थात्:—

a. पिछले वर्ष के लिए कृषि विस्तार परियोजनाओं के लेखाओं का लेखापरीक्षित विवरण, लेखापरीक्षा रिपोर्ट और धारा 35गगग की उपधारा (1) के तहत दावा की गई कटौती की राशि;

b. पिछले वर्ष के दौरान उसके द्वारा की गई कृषि विस्तार परियोजना और चालू वर्ष के दौरान की जाने वाली कृषि विस्तार परियोजना के कार्यक्रम और ऐसे कार्यक्रम के लिए वित्तीय आवंटन पर एक नोट; और

c. पिछले वर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा की गई कृषि विस्तार परियोजना की वास्तविकता के संबंध में भारत सरकार के कृषि मंत्रालय से प्रमाणपत्र।

(*ix*) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड स्वीकृति वापस ले लेगा यदि स्वीकृत संस्था:—

a. अपनी गतिविधियां बंद कर दी हों; या

b. इसकी गतिविधियां गैर-वास्तविक पाई जाती हैं; या

c. इसकी गतिविधियां अधिनियम या नियमों के सभी या किसी संबंधित प्रावधान के अनुसार नहीं चलाई जा रही हैं; या

d. इसकी गतिविधियां उन सभी या किसी शर्त के अनुसार नहीं चलाई जा रही हैं जिनके अधीन अधिसूचना जारी की जा रही है।

■■